प्रेस नोट दिनांक 30.06.2026 जनपद फतेहपुर

थाना कल्यानपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का स्टार्टर व तार बरामद।

संक्षिप्त विवरण- थाना कल्यानपुर पर वादी भानु प्रताप सिंह पुत्र जयकरन सिंह निवासी ग्राम पहरवापुर थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर द्वारा दी गई तहरीर में अवगत कराया गया कि दिनांक 27.06.2026 को लगभग 12:30 बजे उनके खेत में लगे ट्यूबवेल से स्टार्टर को अमन पुत्र रतन सिंह निवासी नैहरारा डेरा थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर चोरी करके भाग रहा था, जिसे ग्रामीणों द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके साथ प्रियांशु पुत्र विजय बहादुर तथा विक्की पुत्र विजय बहादुर निवासी छोटेलालपुर थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर भी चोरी में शामिल थे तथा वे स्टार्टर व तार लेकर भाग गए। अमन उपरोक्त, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, को समझाइश/हिदायत देकर नियमानुसार उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कल्यानपुर पर मु0अ0सं0 149/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी बिंदकी के कुशल नेतृत्व में थाना कल्यानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 149/2026 धारा 303(2) बीएनएस की विवेचना एवं प्रभावी सुरागरसी/पतारसी के क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर थाना कल्यानपुर पुलिस द्वारा दिनांक 30.06.2026 को अमौली से जहानाबाद रोड स्थित पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जावेद उर्फ अशरफ पुत्र मुस्ताफ उर्फ कल्लू निवासी अमौली थाना चाँदपुर जनपद फतेहपुर, उम्र 32 वर्ष के कब्जे से चोरी का एक स्टार्टर, जिस पर PROTEX लिखा हुआ है, तथा उसी में लगा पीला-लाल रंग का लगभग 02 मीटर तार बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त जावेद उर्फ अशरफ ने बताया कि उसकी अमौली में "अमौली कबाड़ सेंटर" नाम से दुकान है। कुछ छोटे बच्चे चोरी किया हुआ सामान उसके पास लाकर कम कीमत में बेच देते हैं तथा बाद में वह उक्त सामान को अधिक कीमत पर बेचकर अतिरिक्त लाभ अर्जित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
जावेद उर्फ अशरफ पुत्र मुस्ताफ उर्फ कल्लू, निवासी अमौली थाना चाँदपुर जनपद फतेहपुर, उम्र 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
1.चोरी का एक स्टार्टर
2.लगभग 02 मीटर तार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1.उ0नि0 संजय सिंह परिहार, थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर
2.का0 शिव सिंह
3.रि0आ0 हर्ष मिश्रा
4.रि0का0 अंकित यादव